पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 25.09.2023

दिनांक-24/25-09-2023 को रात्रि थाना अलीगंज 01, गोमतीनगर विस्तार 01, मानकनगर 01, मोहनलालगंज 02, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 मध्य

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

थाना महानगर- दिनांक 24.09.2023 को थाना प्रभारी निरीक्षक श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा थाना महानगर द्वारा अभियुक्त 01-चन्द्रभूषण दूबे पुत्र स्व0 जगदीश दूबे निवासी-1/397 आर0एल0बी0 विद्यालय के पास सेक्टर-01 विकासनगर थाना विकासनगर जनपद लखनऊ मूलपता ग्राम व पोस्ट दुबौली थाना खुखुन्दु जनपद देवरिया 02-अभिलाष मणि त्रिपाठी पुत्र स्व0 आदित्य नारायण त्रिपाठी निवासी- सी-69 सेक्टर बी अलीगंज थाना अलीगंज जनपद लखनऊ मूलपता ग्राम बरपार पोस्ट बरपार थाना बैतापुर जनपद देवरिया के विरूद्ध थाना महानगर पर यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 पूर्वी

गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

थाना चिनहट- दिनांक 24.09.2023 को प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक राव थाना चिनहट लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-सुमित तमिल पुत्र गुरुस्वामी निवासी- ए 30 जे0 जे0 कालोनी थाना इन्द्रपुरी नई दिल्ली (गैंग लीडर), 02-आकाश तमिल पुत्र वीरिया निवासी- बी 14 जे0 जे0 कालोनी थाना इन्द्रपुरी नई दिल्ली 03-अर्जुन तमिल पुत्र चन्द्रशेखर निवासी- ई 281 जे0 जे0 कालोनी थाना इन्द्रपुरी नई दिल्ली के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना सरोजनीनगर-दिनांक 24.09.2023 को एस0आई0 श्री रामसरन मौर्य थाना सरोजनीनगर द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01- मोनू जायसवाल पुत्र राधेश्याम जायसवाल निवासी ग्राम मथुआ थाना बालामऊ जिला हरदोई को पिपरसण्ड रेलवे क्रासिंग तिराहे थाना सरोजनीनगर के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 पौवा देशी शराब विन्डीज कम्पनी कुल 04 लीटर सफेद प्लास्टिक के थैले में बरामद कर थाना सरोजनीनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना नगराम-दिनांक 24.09.2023 को एस0आई0 श्री गौरीशंकर यादव थाना नगराम द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01-जगतपाल पुत्र स्व0 रामखिलावन निवासी ग्राम मितौली थाना नगराम जनपद लखनऊ को अभियुक्त के घर उपरोक्त थाना नगराम से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 ली0 अवैध अमिश्रित कच्ची शराब, एक अदद प्लास्टिक की बोतल मे 400 ग्राम लहन, एक पारदर्शी सफेद पालीथीन में 500 ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

थाना माल-दिनांक 24.09.2023 को एस0आई0 श्री दिग्विजय सिंह थाना माल द्वारा मय हमराही महिला आरक्षी व फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्ता 01-लक्ष्मी पत्नी होरी लाल निवासी ग्राम रामनगर थाना माल जनपद लखनऊ को ग्राम ग्राम रामनगर थाना माल लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब प्लास्टिक की पिपिया बरामद कर थाना माल पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना सरोजनीनगर(फौती)- दिनांक 25.09.2023 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि श्री अमन लोधी पुत्र स्व0 श्री शिवनन्दन निवासी ग्राम रानीपुर थाना सरोजनीनगर लखनऊ थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि उनके पिता शिवनन्दन उम्र करीब 50 वर्ष जो मानसिक रुप कमजोर थे तथा वह शराब पीने के आदी थे। उनके पिता पिछले दो दिनों से घर पर नहीं थे। दिनांक 25.09.2023 को सुबह उनके पिता का शव रिंग रोड़ के किनारे पारस नाथ एकेडमी के पास पड़ा मिला है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री रामसरन मौर्य मो0न0- 8707271747 थाना सरोजनीनगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक मानसिक रुप से अस्वस्थ था तथा शराब का आदी था। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है।

थाना बंथरा(ट्रेन दुर्घटना)-दिनांक 25.09.2023 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि रेलवे स्टेशन अधीक्षक हरौनी द्वारा थाना बंथरा पर एक मेमो इस आशय का भेजा गया कि दिनांक 25.09.2023 को समय करीब 07.45 बजे रेलवे किमी0 सं0 20/26 से 20/28 के मध्य में एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। इसकी सूचना चाबी मैन श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मन्नालाल ने फोन द्वारा दी गई। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राहुल त्रिपाठी मो0 7905898652 थाना बंथरा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि व्यक्ति का शव मृत अवस्था में पड़ा हुआ था जिसके सर पर लंबा कट का निशान है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृतक उपरोक्त की मृत्यु ट्रेन से गिर जाने के कारण मृत्यु हुई है। आसपास के लोगों से मृतक उपरोक्त की पहचान कराई गई किंतु पहचान नहीं हो सकी। मृतक की जेब से दिनांक 16.09.2023 का देवरिया से लखनऊ का साधारण टिकट मिला है, शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे हैं। मृतक की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष प्रतीत हो रही है।

थाना रहीमाबाद(मारपीट)- दिनांक 25.09.2023 को थाना रहीमाबाद द्वारा बताया गया कि वादी श्री रामजी वर्मा पुत्र स्व0 हरदेव प्रसाद निवासी ग्राम दिलावरनगर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ ने थाना रहीमाबाद पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 23.09.2023 की शाम करीब 07.00 बजे भतोईया चौराहे से अपने घर जा रहा था कि तभी रास्ते में मनकौटी के पास विपक्षीगण सुभाष, भानु, महेन्द्र व मोहित पुत्रगण प्रकाश निवासीगण ग्राम दिलावरनगर थाना रहीमाबाद लखनऊ व 02 अज्ञात व्यक्तियों ने वादी को जो सुरेश की गाड़ी पर बैठा था, रोक लिया। वादी को विपक्षीगण लोहे की राड व लाठी-डण्डों से मारने पीटने लगे, वादी अपनी जान बचाकर चण्दीखेण्डा में स्थित पण्डित जी दुकान में घुस गया, वहां भी विपक्षीगणों द्वारा वादी को मारा पीटा गया तथा बाद में विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। विपक्षीगणों के मारने पीटने से वादी को गम्भीर चोटें आयी है। विपक्षीगणों द्वारा वादी के पास से 5000/- रुपये व मोबाइल भी छीनकर ले गये है। **इस सूचना पर थाना रहीमाबाद पर मु0अ0सं0- 165/2023 धारा-147/148/323/504/506/352/392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**